



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227364
CG-DL-E-03062021-227364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943

No. 2003]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

(निर्माण विभाग)

शुद्धिपत्र

कोलकाता, 27 अप्रैल, 2021

का.आ. 2160(अ).— अधिसूचना संख्या 792 दिनांक 10.02.2021 के संशोधन में विशेष रेलवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की, यानी "रामपुरहाट - मुरारी तीसरी लाइन (चरण- III)" बीरभूम जिले में, पश्चिम बंगाल राज्य में उप-धारा (I) के 20E तहत रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) संख्या 724 दिनांक 22.02.2021 में प्रकाशित हुआ।

A. SL नंबर 2 में, पुलिस स्टेशन - नलहटी, मौजा-कानियोर, जेएल नंबर- 64 को निम्नलिखित सही करने के लिए:-

1) प्लॉट नंबर 1059 में, भूमि के मालिक का नाम - 20. हसीना ममताज, पति-साकील आनसारी-नलहटी को हटाया जाएगा (पृष्ठ सं 5)।

2) प्लॉट नंबर 1060 को हटा दिया जाए क्योंकि प्लॉट का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा (पृष्ठ सं 5)।

3) प्लॉट नंबर 1062 में, भूमि के मालिक का नाम - अब्दुल कुदरत, पिता- फजल मल्लिक - कागारिया जोड़ा जाएगा (पृष्ठ सं 5)।

4) प्लॉट नंबर 1056 में, भूमि के मालिक का नाम - अब्दुल तोहिद, पिता- फजल सेख - कैगरिया जोड़ा जाएगा (पृष्ठ सं 8)।

B. SL नंबर 5 के अंत में, कुल सही क्षेत्र 9.85078 एकड़/3.98655 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जाएगा, 9.91325 एकड़/ 4.01152 हेक्टेयर (पृष्ठ सं 11) के बजाया यह प्लॉट नंबर 1060 को हटाने के कारण है।

[फा. सं. – मु. प्र. अ./नि./ भू./306]

वी. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण,

पूर्व रेलवे/ कोलकाता

MINISTRY OF RAILWAYS

(EASTERN RAILWAY)

(Construction Department)

CORRIGENDUM

Kolkata, the 27th April, 2021

S.O. 2160 (E).— In modification of Notification No. 792 dated 10.02.2021 of Land Acquisition for Special Railway Project, namely **“Rampurhat - Murarai 3rd Line (Phase-III)”** in Birbhum District, in State of West Bengal under sub-section (I) of section 20E of the Railways (Amendment) Act, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, part II section 3 sub-section (ii) vide No. 724 dated 22.02.2021.

A. In SL. No. 2, Police Station- Nalhati, Mouza-Kanior, JL No.- 64 following to be corrected:-

- 1) In Plot No. 1059, Name of the land owner – 20. Hasina Mamtaz, W/o Sakil Ansari-Nalhati to be deleted (Page No. 14).
- 2) Plot No. 1060 to be deleted as the Plot will not be acquired (Page No. 14).
- 3) In Plot No. 1062, Name of the land owner – Abdul Kudrat, S/o Fajal Mallick-Kaigaria to be added (Page No. 15).
- 4) In Plot No. 1056, Name of the land owner – Abdul Tohid, S/o Fajal Sekh – Kaigaria to be added (Page No. 17).

B. At the end of SL. No. 5, Total corrected area to be acquired 9.85078 acres/3.98655 hectares instead of 9.91325 acres/4.01152 hectares (Page No. 19). This is due to deletion of Plot No. 1060.

[F. No. CAO/Con/L/306]

V.K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer/Con,

Eastern Railway/Kolkata.